

भाग-1

क्रमांक
130915

[मोटरयान अधिनियम की धारा-213(5)(ई) के अन्तर्गत]

हस्ताक्षर अभियुक्त

भाग-3

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा रोके गये प्रपत्रों की सूची

1. साक्षी

2. साक्षी

उक्त प्रपत्रों का अस्थायी अधिकार पत्र दिनांक पूर्व में हो, वैध होगा। चालान की एक प्रति प्राप्त की।

तथा अथवा मूल प्रपत्र/प्रपत्रों की वैधता की तिथि तक, जो

हस्ताक्षर अभियुक्त

हस्ताक्षर प्रवर्तन अधिकारी, गृहर

भाग-4

गाडी बन्द करने का आदेश

प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष

थाना

जिला

ऊपर उल्लिखित अभियोग क्रमांक

(1) एवं/अथवा अभियोग क्रमांक..... के कारण उत्तर यान को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 207 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहीत करते हुए, निरुद्ध किया जाना हेतु सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है।

अतः, उक्त यान को आगामी आदेशों तक अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाये।

नोट:- चालक/वाहन स्वामी यदि चाहे तो वाहन में लदे माल को इस प्रतिबन्ध के साथ उतरवाकर ले जा सकता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 113 व 114 का उल्लंघन कदापि न हो।

हस्ताक्षर अभियुक्त

हस्ताक्षर प्रवर्तन अधिकारी, महर

भाग-5

थाने से प्राप्त रसीद

मोटारयान का पंजीयन / चैसिस संख्या

प्रकार

को थाने में

..(प्रवर्तन अधिकारी का

पदनाम) से दिनांक को बजे अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु लिया गया।

जो लागू न हो उसे काट दें

हैल्य लार्डन नं०